

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

UPSSC, PRAYAGRAJ



सहायक आचार्य (ASSISTANT PROFESSOR) चयन परीक्षा, 2026

विज्ञापन संख्या-04 / 2026

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, 23 एलनगंज,

प्रयागराज-211002

www.upessc.up.gov.in



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज-211002

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं०
1.	महत्वपूर्ण तिथियाँ	2
2.	ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना	2-3
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश	3
4.	आवेदन शुल्क	4
5.	रिक्तियों का विवरण	4
6.	आरक्षण, आयु सीमा तथा वेतनमान	4-5
7.	अनिवार्य योग्यता एवं पात्रता	5-9
8.	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश	10
9.	अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश	10
10.	परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम	11
11.	लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश	11-12
12.	अधिमानता	12
13.	साक्षात्कार के लिए निर्देश	13-14
14.	परिशिष्ट 1 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप	15
15.	परिशिष्ट 2 : अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र का प्रारूप	16
16.	परिशिष्ट 3 : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र का प्रारूप	17-18
17.	परिशिष्ट 4 : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप	19
18.	परिशिष्ट 5 : दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का प्रारूप	20-21
19.	परिशिष्ट 6 : शपथ-पत्र का प्रारूप	22
20.	सारणी 01 : स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पुरुष/महिला) एवं स्नातक महाविद्यालय (पुरुष/महिला) में रिक्त पदों का विवरण	23



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज-211002

विज्ञापन संख्या : 04 / 2026

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	08.09.2026
ऑनलाइन पंजीकरण (O.T.R.)/आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	08.09.2026
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	07.10.2026
ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अन्तिम तिथि	11.10.2026
परीक्षा तिथि	19 व 20 नवम्बर, 2026

2. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना :-

- 2.1 आयोग के विज्ञापन सं०-04/2026 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा महाविद्यालयों व महिला महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के रिक्त कुल 1936 पदों का विवरण, जो सारणी 01 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना है।
- 2.2 प्रश्नगत सहायक आचार्य पद हेतु OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन पद्धति (OTR Based Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को One Time Registration(OTR) करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही आवेदन किया जा सकेगा।
- 2.3 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए User Manual हिन्दी व अंग्रेजी में तथा प्रशिक्षण वीडियो (Tutorial Videos) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिन्हें आवेदन करने से पूर्व देखा जा सकता है।
- 2.4 ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से "सबमिट" हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेन्डर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अन्तिम हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 2.5 आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में पृथक से कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करना चाहिये जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 2.6 निर्धारित साइज की फोटो तथा स्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड न करने एवं घोषणा-पत्र स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी का आवेदन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 2.7 आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने या 01 जुलाई, 2026 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2.8 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गयी घोषणा (Declaration) सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयन/परीक्षाओं से प्रतिवारित (डिबार) करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 2.9 आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अनिवार्य अर्हताएँ अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे

आवेदन कर रहे हैं उसके लिए विज्ञापन में दी गयी सभी अर्हताएं धारित करते हैं। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- 2.10** हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 2.11** अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में भरा जाना है।
- 2.12** आवेदन पत्र में त्रुटि निवारण हेतु संशोधन करने का अवसर मिलेगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने पर आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन “सबमिट” करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही स्वीकार्य होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे।
- 2.13** अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ स्कैन करके JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच हो तथा 140X110 Pixel का Resolution हो। इसी प्रकार पासपोर्ट साइज फोटो, जिसकी साइज 30 KB से 300 KB के बीच हो तथा Pixel Resolution 300 से 600 के बीच हो भी अपलोड करना होगा।
- 2.14** सभी अपलोड किये जाने वाले प्रमाण-पत्र/अभिलेख PDF Format में होने चाहिए तथा उनकी साइज 50KB से 500KB के बीच होनी चाहिए।
- 2.15** आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के पश्चात **प्रस्तर-4** में उल्लिखित शुल्क जमा करना होगा।
- 2.16** अभ्यर्थी आवेदन पत्र आनलाइन सबमिट करके उसकी तीन प्रतियाँ भविष्य हेतु सुरक्षित रख लें, जिनमें से दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय **प्रस्तर-13** में उल्लिखित अभिलेखों के साथ अलग-अलग 2 सेट तैयार कर आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 2.17** किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयन से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 2.18** अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

3. परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश :-

- 3.1** अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हुए परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।
क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग।
- 3.2** अभ्यर्थी क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए पंजीकरण के तुरंत बाद पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- 3.3** क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करने की दशा में भुगतान की पुष्टि भुगतान के बाद बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। भुगतान की पुष्टि बैंक द्वारा किये जाने के उपरांत ही परीक्षा शुल्क का भुगतान मान्य होगा।
- 3.4** शुल्क भुगतान करने के उपरान्त शुल्क प्राप्ति रसीद को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी One Time Registration व भुगतान कम्प्लीट करने के पश्चात आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं करता तो उसका आवेदन मान्य नहीं होगा।

4. आवेदन शुल्क :-

उक्त पद हेतु परीक्षा शुल्क निम्नवत निर्धारित है :-

क्र०सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1.	सामान्य/अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य	2,000.00
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	1,500.00
3.	दिव्यांगजन	1,000.00

5. रिक्तियों का विवरण :-

5.1 सह शिक्षा महाविद्यालयों के 1564 एवं महिला महाविद्यालयों के 372 रिक्त पदों (कुल 1936) का विवरण, जो शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो सारणी-01 के रूप में संलग्न है।

5.2 रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

6. आरक्षण, आयु सीमा तथा वेतनमान :-

6.(क) आरक्षण :- (i) शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायक आचार्य के 1936 पदों के अध्याचन में विषयवार लम्बवत आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत महिला, दिव्यांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की सूचना सारणी-01 पर उपलब्ध है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत महिला, दिव्यांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये अध्याचन के अनुसार है।

(ii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का तात्पर्य :- किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सन्दर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित) और पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) और विवाहित अथवा अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) से है।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग का तात्पर्य :- शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगत निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ङ) खण्ड 'क' से 'घ' के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है, से है।

नोट 1:- शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, प्रयागराज ने सहायक आचार्य पद को दिव्यांग अभ्यर्थियों की O.A./O.L./B./B.A./L.V./D./H.H./L.C./D.W./A.A.V. उप श्रेणियों हेतु चिन्हांकित होने की सूचना दी है।

नोट 2:- उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47 /का-2/2022

दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है –

“दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।”

(iv) उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 जो दिनांक 01.02.2019 को प्रवृत्त हुआ है :-

- (a) इस अधिनियम की धारा 3-(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली 10 प्रतिशत रिक्तियाँ नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।
- (b) इस अधिनियम के अधीन उ0प्र0 राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की प्रसुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (c) इस अधिनियम की धारा 3-(2) के अनुसार “इस धारा के अधीन आरक्षण उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन उपबन्धित आरक्षण के अतिरिक्त होगा।”
- (d) इस अधिनियम की धारा 3-(5) के अनुसार “यदि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसके उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा।”
- (e) इस अधिनियम की धारा 3-(6) के अनुसार “जहाँ किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में उपधारा (1) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई निश्चित की गयी रिक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण न भरी जा सके वहाँ ऐसी रिक्तियाँ आगामी वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं की जायेंगी और उक्त रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर ली जायेगी।”

6.(ख) आयु गणना की तिथि :- आयु गणना की तिथि 01 जुलाई, 2026 है। पद की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष है।

6.(ग) वेतनमान :- वेतनमान : (लेवल-10) ₹ 57,700.00 से ₹ 1,82,400.00

7. अनिवार्य योग्यता :- हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वाणिज्य, वनस्पति विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र, प्राणि विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, शस्य विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि वनस्पति, कृषि अभियंत्रण, उद्यान विज्ञान, उर्दू, एशियन कल्चर, प्राचीन इतिहास, विधि, सांख्यिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, कीट विज्ञान, कृषि प्रसार एवं कृषि सांख्यिकी विषयों के लिए :-

पात्रता (क अथवा ख) :-

क.

- (i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सम्बन्धित/संगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू वहाँ प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।
- (ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/Ph.D उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किये गये संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार Ph.D की उपाधि प्रदान की गयी हो, NET/SLET/SET से छूट प्रदान की जायेगी :-

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व Ph.D कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET/SET की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

- (क) अभ्यर्थीको पीएच.डी. की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;
- (ख) पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;
- (ग) पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
- (ङ) अभ्यर्थी ने वि०अ०आ०/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसीकिसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएच.डी. कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों का पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट:-

ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें वि०अ०आ०, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि०अ०आ० द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एनईटी/एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख.

- (i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस)
- (ii) दि टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) अथवा
- (iii) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्लू) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिंग में विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान (किसी भी समय) से पीएच.डी. की उपाधि सम्बन्धित विषय में प्राप्त की गई हो।

चित्रकला, संगीत गायन, संगीत वादन, सितार एवं संगीत वादन, तबला विषय के लिए :-

पात्रता (क अथवा ख) :-

क.

- i) किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।
- ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने वि०अ०आ० अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा वि०अ०आ० द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गये संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गयी हो।

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएच.डी. धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जायेगी :-

- (क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गयी हो;
- (ख) पीएच.डी. शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;
- (ग) पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गयी हो;
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
- (ङ) अभ्यर्थी ने वि०अ०आ०/एआईसीटीई/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएच.डी. कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किये हों;

नोट-1:- इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।

नोट-2:- ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि०अ०आ०, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि०अ०आ० द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसएलईटी/एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. एक परम्परागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विधा में अत्यन्त उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, जिन्होंने:

- i) प्रसिद्ध परम्परागत उस्ताद(दों)/कलाकार(रों) के अधीन अध्ययन किया हो;
- ii) वह आकाशवाणी/दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो;
- iii) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और
- iv) संबंधित विधा में सदोहारण सिद्धान्त पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

नोट-1:- सीधी भर्ती के लिए निष्णात स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा प्वाइंट स्केल समतुल्य ग्रेड, जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) अनिवार्य योग्यता होगी।

1. सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)-(असंपन्न वर्ग)/निशक्त (क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता; (ख) बधिर और कम सुनाई देना; (ग) लोकोमोटर निशक्ता साथ ही सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी; (घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्ता, विशिष्ट अधिगम निशक्ता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) गूंगापन-अंधापन सहित (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहु निशक्ता से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय है।
2. उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है।
3. एक संगत ग्रेड जिसे निष्णात स्तर पर 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी वैध माना जायेगा।

शैक्षिक अर्हता के संबंध में अंतःसम्बद्ध विषय/समकक्ष विषय

क्र.सं.	विषय का नाम	अन्तःसम्बद्ध विषय
1.	हिन्दी (HINDI)	भाषा विज्ञान
2.	उर्दू (URDU)	कोई नहीं
3.	अंग्रेजी (ENGLISH)	1. भाषा विज्ञान 2. अप्लाइड अंग्रेजी
4.	संस्कृत (SANSKRIT)	संस्कृत में निष्णात उपाधि/सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य की उपाधि।
5.	कला/चित्रकला/ड्राइंग एवं पेंटिंग (ART/DRAWING AND PAINTING)	कोई नहीं
6.	संगीत गायन (MUSIC VOCAL)	कोई नहीं
7.	संगीत वादन, सितार (MUSIC INSTRUMENTAL, SITAR)	कोई नहीं
8.	संगीत वादन, तबला (MUSIC INSTRUMENTAL, TABLA)	कोई नहीं
9.	इतिहास (HISTORY)	1. मध्यकालीन इतिहास 2. आधुनिक इतिहास 3. प्राचीन इतिहास 4. पुरातत्त्व
10.	प्राचीन इतिहास (ANCIENT HISTORY)	Archeology and Heritage Management
11.	एशियन कल्चर (ASIAN CULTURE)	1. प्राचीन इतिहास 2. मध्यकालीन एवं आधुनिक 3. पाश्चात्य इतिहास 4. मानव शास्त्र 5. पुरातत्त्व
12.	भूगोल (GEOGRAPHY)	कोई नहीं
13.	मनोविज्ञान (PSYCHOLOGY)	कोई नहीं
14.	शिक्षाशास्त्र (EDUCATION)	Master of Education (M.Ed)
15.	दर्शनशास्त्र (PHILOSOPHY)	कोई नहीं
16.	मानवशास्त्र (ANTHROPOLOGY)	कोई नहीं
17.	समाज शास्त्र (SOCIOLOGY)	सोशल वर्क
18.	अर्थशास्त्र (ECONOMICS)	व्यवहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics)
19.	राजनीति शास्त्र (POLITICAL SCIENCE)	1. लोकप्रशासन 2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
20.	शारीरिक शिक्षा (PHYSICAL EDUCATION)	एम.पी.एड./एम.पी.ई. (M.P.Ed./M.P.E.)

21.	सैन्य विज्ञान/सैन्य अध्ययन (MILITARY SCIENCE/DEFENCE STUDIES)	रक्षा एवं र्त्रातजिक अध्ययन
22.	गृह विज्ञान (HOME SCIENCE)	1. फूड एण्ड न्यूट्रीशन 2. क्लार्थिंग टेक्सटाइल्स 3. ह्यूमन डेवेलपमेन्ट 4. फैमिली रिसोर्सेस मैनेजमेंट
23.	विधि (LAW)	कोई नहीं
24.	वाणिज्य (COMMERCE)	1. व्यवसायिक प्रशासन एवं प्रबन्ध (Business Administration & Management) 2. लेखाशास्त्र एवं व्यवसायिक सांख्यिकी (Accountancy and Business Statistics) 3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (Economic Administration and Financial Management)
25.	रसायन विज्ञान (CHEMISTRY)	1. व्यावहारिक रसायनशास्त्र/कार्बनिक/अकार्बनिक रसायन 2. फार्मास्युटिकल
26.	वनस्पति विज्ञान (BOTANY)	1. Plant Science 2. Bio-Technology 3. Microbiology 4. Plant Bio-Technology 5. Bio-Chemistry 6. Marine Bio-Technology 7. Genetics 8. Environmental Science and Life Sciences
27.	प्राणि विज्ञान (ZOOLOGY)	1. Animal Science 2. Microbiology 3. Molecular and Human Genetics 4. Environmental Science 5. Fisheries 6. Life Sciences
28.	गणित (MATHEMATICS)	कोई नहीं
29.	भौतिक विज्ञान (PHYSICS)	व्यावहारिक भौतिकी (Applied Physics)
30.	सांख्यिकी (STATISTICS)	कोई नहीं
31.	कृषि अर्थशास्त्र (AGRICULTURAL ECONOMICS)	Agricultural Economics and Business Management/Livestock Economics
32.	उद्यान विज्ञान (HORTICULTURE)	1. Horticulture with specialization in Vegetable Science 2. Floriculture and Land escaping 3. Food Production and Post Harvest Technology 4. Pomology/Fruit Science 5. Medical Aromatic and Plantation and Spice
33.	पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान (ANIMAL HUSBANDRY and DAIRYING)	1. M.Sc. (Agri) Dairy Technology/Dairy Science 2. M.Sc. Dairy Technology/M.Tech. Dairy Technology 3. M.Sc. (Agri) Livestock Production and Management. 4. M.Sc. (Agri) Animal Nutrition/M.Sc. Animal Nutrition/M.Sc. L.P.M. 5. M.Sc. Animal Science 6. M.Sc. Genetics and Animal Breeding
34.	कृषि अभियंत्रण (AGRI. ENGINEERING)	1. Farm Machinery and Power Engg. 2. Soil and Water Conservation Engg. 3. Agricultural Processing and Food Engg. 4. Irrigation and Drainage Engg. 5. Agri. Engg. 6. Water Resource Engg. 7. Post Harvest Engg. 8. Irrigation Water Management 9. Agri. Engg., Post Harvest Process Food Engg. And Post Harvest Engg. 10. Water Resources Development Management
35.	शस्य विज्ञान (AGRONOMY)	1. M.Sc. (Agri.) Agronomy 2. Crop Production Soil Fertility Management Phy. Soil 3. Agronomy Crop Physiology 4. Agronomy Crop Production 5. Agronomy Weed Science
36.	कृषि आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (GENETICS and PLANT BREEDING)	1. Genetics and Plant Breeding. 2. Genetics 3. Plant Breeding 4. Agri. Botany
37.	कृषि वनस्पति विज्ञान (AGRICULTURAL BOTANY)	1. M.Sc.(Ag.) Plant Physiology 2. Crop Physiology 3. Genetics and Plant Breeding 4. Seed Science and Technology
38.	कृषि रसायन (AGRICULTURAL CHEMISTRY)	1. Soil Science and Agri. Chemistry 2. Soil Science 3. Soil Chemistry 4. Soil Fertility Fertilize 5. Soil Microbiology
39.	कीट विज्ञान (ENTOMOLOGY)	Plant Protection/Sericulture
40.	कृषि प्रसार (AGRI. EXTENSION)	1. M.Sc. (Agri.) Extension Education 2. P.G. Extension Education, NET Continuing Education 3. P.G. Extension Education and Ph.D. Agri. Economics 4. P.G. Veterinary Extension Education 5. P.G. Extension Communication
41.	भूगर्भ विज्ञान (GEOLOGY)	Applies Geology/Earth Science
42.	कृषि सांख्यिकी (AGRICULTURAL STATISTICS)	Agricultural Statistics/Statistics/Applies Statistics/Biostatistics/Mathematical Statistics

8. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश :-

- 8.1 उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 8.2 एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।
- 8.3 आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें इन वर्गों को मिलने वाली छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे।
- 8.4 आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित जाति प्रमाण-पत्र उ0प्र0 शासन के निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- 8.5 महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- 8.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14.03.2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश :-

- 9.1 अभ्यर्थी द्वारा अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसे आयोग द्वारा माँगे जाने पर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 9.2 ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/पति हैं अथवा ऐसी महिला/पुरुष अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया है, जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी/पति है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 9.3 अभ्यर्थी के विरुद्ध मा0 न्यायालय में वाद दायर होने अथवा न होने या मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति में यदि भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा सूचना न दिये जाने अथवा छुपाये जाने या गलत सूचना दिये जाने संबंधी जानकारी आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- 9.4 कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।
- 9.5 प्रश्न-पुस्तिका में सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होंगे किन्तु भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे यथा हिन्दी का हिन्दी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में तथा उर्दू का उर्दू में इत्यादि।
- 9.6 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होने की स्थिति में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर अथवा ई-मेल आई०डी० पर सम्पर्क कर कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं :-

	Technical Support (Application Related Issue)	Bank Payment Support (Payment Related Issue)		UPESSC Commission Support
		ICICI BANK	UNION BANK	
Mob. No.	08448573939 (09:30 AM - 06:00 PM) (Monday - Saturday)	8879370946, 8657723283 (09:30 AM - 06:30 PM) (Working Days)	9137551970 (09:30 AM - 06:30 PM)	0532-2466851 (10:00 AM - 05:00 PM) (Monday - Saturday)
E-mail	Support@upessc.org	Amita.kurmi@icici.bank.in Pawan.si@icici.bank.in	pgsupport@billdesk.com	upesscprayagraj@gmail.com

10. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम :-

10.(क) परीक्षा योजना :-

- सहायक आचार्य, महाविद्यालय के पदों पर चयन की कार्यवाही 360 अंकों की लिखित परीक्षा (120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित) तथा 40 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची से की जायेगी।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट समान हो तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के अंक देखे जायेंगे तथा लिखित परीक्षा के भी अंक समान होने पर साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को देखा जाएगा। दोनों के भी अंक समान होने पर अनिवार्य अर्हता का अधिकतम प्रतिशत/पीएच०डी० और जे०आर०एफ०, नेट और पीएच०डी०, जे०आर०एफ०, नेट, पीएच०डी० को देखा जाएगा एवं सभी समान होने पर अन्त में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक देखे जाएंगे। यदि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा अनिवार्य अर्हता के प्रतिशत अंक समान है तो उस अभ्यर्थी का नाम जो अधिक आयु का हो, उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।

- लिखित परीक्षा के कुल 120 प्रश्नों में से 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान व 90 प्रश्न सम्बन्धित विषय पर आधारित होंगे।
- लिखित परीक्षा की अवधि दो घण्टे की होगी।
- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Multiple Choice Question) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प दिये रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काले बाल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर दिये जाने पर 03 अंक देय होगा तथा गलत/एकाधिक उत्तर दिये जाने के लिए 01 अंक घटा (Minus Marking) दिये जायेंगे।
- लिखित परीक्षा के कटऑफ एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

10.(ख) पाठ्यक्रम :- सहायक आचार्य पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट

www.upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

11. लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश :-

- 11.1 परीक्षा की तिथि, स्थान, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को SMS, ई मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 11.2 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को मुख्य पृष्ठ पर दिए गए "Admit Card Download" बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर/मोबाइल नम्बर तथा जन्म तिथि अंकित करनी होगी।
- 11.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देंगे, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुत भी कर दिया गया हो, तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

- 11.4 कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 11.5 अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में काला बाल प्वाइंट पेन अपने साथ अवश्य लाएंगे तथा ओ०एम०आर० शीट के आयताकार खानों व गोलों को काले बाल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइंट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक गोला काला करने पर उसका न तो मूल्यांकन होगा और न उस पर कोई अंक ही दिये जाएंगे।
- 11.6 परीक्षा के दौरान ओ० एम०आर० शीट पर मिटाने के लिए इरेजर/नाखून/ब्लेड/सफेद तरल पदार्थ/(Whitener) आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार से क्षति ग्रस्त किया जाना निषिद्ध है। इनके किसी भी प्रयोग से ओ०एम०आर० शीट निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- 11.7 अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना से सम्बन्धित खानों को सही-सही भरें तथा उनसे सम्बन्धित गोलों को ही काला करें, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर-पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 11.8 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) में सम्बन्धित गोलों को ही पूरी तरह काला करें इसके अतिरिक्त किसी भी गोलों में कोई अन्य निशान जैसे डॉट, स्याही के निशान या कोई भी चिन्ह अंकित न करें अन्यथा उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 11.9 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 एवं 08 सितम्बर, 2022 के अनुसार श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा दी जायेगी। श्रुतलेखक अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व अवश्य करा लें, ताकि उनके बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथासमय की जा सके। उक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुतलेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 11.10 लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें कि वे यू०जी०सी०/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ पूरी करते हैं। निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हो, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से सहायक आचार्य पद पर अन्तिम रूप से चयन हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।
- 11.11 परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. **अधिमानता :-** नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से महाविद्यालयों की अधिमानता प्राप्त करने/महाविद्यालयों का आवंटन सम्बन्धी कार्य प्राधिकृत अधिकारी (शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज) द्वारा किया जायेगा।

13. साक्षात्कार के लिए निर्देश :-

- 13.1 लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्टेड (Shortlisted) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना SMS, ई-मेल समाचारपत्र एवं आयोग की वेबसाईट www.upessc.up.gov.in के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 13.2 साक्षात्कार की सूचना प्राप्त होने पर साक्षात्कार के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट www.upessc.up.gov.in पर जाकर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।
- 13.3 साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 13.4 साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि पर **परिशिष्ट-6** पर उपलब्ध प्रारूप पर शपथ-पत्र देना होगा।
- 13.5 आनलाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ-साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में निम्नांकित अंकपत्र, प्रमाण-पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होंगी।
1. आनलाइन आवेदन पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 2. हाईस्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 3. इण्टरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 4. स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 5. एलएल०बी० अंक-पत्र(समस्त वर्ष) व उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 6. स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 7. एम०एड० अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 8. एलएल०एम० प्रथम व द्वितीय वर्ष अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 9. पीएच०डी०/डी०फिल० उपाधि की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 10. एम०फिल० उपाधि की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 11. डी०लिट/डी०एस०सी०/एलएल०डी० उपाधि की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 12. अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए)
 13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) /स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र (केवल उ०प्र० राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (**क्रमशः परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 पर**)
 14. दिव्यांग होने का प्रमाण-पत्र (केवल उ० प्र० राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (**परिशिष्ट-5 पर**)
 15. शपथ-पत्र की दो प्रतियाँ (**परिशिष्ट-6 पर**)
 16. अन्तिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 17. दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 18. मा० न्यायालय में कोई वाद लम्बित होने अथवा न होने एवं वाद दायर होने की स्थिति में मा० न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र

नोट :-

1. साक्षात्कार के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों द्वारा उपर्युक्त सभी अंक पत्रों व प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के दो पृथक-पृथक सेट तथा उक्त समस्त के मूल अभिलेख सत्यापन हेतु

क्रमवार साक्षात्कार के समय साथ लाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका साक्षात्कार संभव नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

2. साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन का अनुरोध न करें।
3. यदि आयोग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो तत्संबंधी सूचना सम्बंधित अभ्यर्थियों को SMS/E-mail/पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।
4. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दैनिक-भत्ता/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. ऐसे वांछित अभिलेख, जो कि अभ्यर्थी से सम्बंधित नहीं है, संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
6. परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2, परिशिष्ट-3, परिशिष्ट-4, परिशिष्ट-5 एवं परिशिष्ट-6 के प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
निवासी ग्राम..... तहसील नगर जिला
उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,
1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश आदेश
1967) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
ग्राम.....तहसील..... नगर..... जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मुहर

पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-2

उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री
.....निवासी ग्रामतहसील.....नगर.....
जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)
अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम 1994
(यथासंशोधित) की अनुसूची दो जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित
जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया
गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों
के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके
माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख या इससे अधिक नहीं
है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
के.....ग्राम तहसील.....नगर..... जिला.....
..... में सामान्यता रहता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मुहर

पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-नाम संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं
पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-4

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम.....
तहसील.....नगर..... जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम,
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का
पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम,
1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)के आश्रित हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी.....

सील.....

.....

परिशिष्ट-5

The form of certificate to be produced by Physically Handicapped candidates

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.

Date:.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum.son/wife/daughter of
Shri..... agesexidentification mark(s).....

.....is suffering from permanent disability of following category :

A. Locomotor or Cerebral Palsy :

- | | |
|--|----------------------|
| (i) BL—Both legs affected but not arms | |
| (ii) BA—Both arms affected | (a) Impaired reach |
| | (b) Weakness of grip |
| (iii) BLA—Both legs and both arms affected | |
| (iv) OL—One leg affected (right or left) | (a) Impaired reach |
| | (b) Weakness of grip |
| | (c) Ataxic |
| (v) OA—One arm affected | (a) Impaired reach |
| | (b) Weakness of grip |
| | (c) Ataxic |
| (vi) BH—Stiff back and hips (cannot sit or stoop) | |
| (vii) MW—Muscular weakness and limited physical endurance. | |

B. Blindness or Low Vision :

- (i) B—Blind
- (ii) PB—Partially blind

C. Hearing impairment :

- (i) D—Deaf
- (ii) PD—Partially deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period
of.....years.....months.*
3. Percentage of disability in his/her case is.....Percent.

4. Shri/Smt./Kum.meets the following physical requirements for discharge of his/her duties :—

- | | | |
|--------|--|--------|
| (i) | F—Can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) | PP—Can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) | L—Can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) | KC—Can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) | B—Can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) | S—Can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) | ST—Can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) | W—Can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) | SE—Can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) | H—Can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) | RW—Canperformworkbyreadingandwriting. | Yes/No |

(Dr.....)
Member
Medical Board

(Dr.)
Member
Medical Board

(Dr.)
Chairman
Medical Board

Countersigned by the Medical
Superintendent/CMO/Head of Hospital
(With seal)

NOTE* Strike out which is not applicable

परिशिष्ट-6

शपथ-पत्र

1. मैंने विज्ञापन संख्यामें विनिहित अनुदेश/निर्देश को भली भाँति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन किया है और मैं उक्त सभी अनुदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।
2. ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा स्वयं भरी गयी हैं, जो तथ्यात्मक, सत्य एवं पूर्ण हैं। आवेदन-पत्र में की गयी सभी प्रविष्टियाँ एवं आयोग को उपलब्ध करायी गयी स्वप्रमाणित संलग्नकों में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा फर्जी पाये जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।
3. किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा मुझे किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए न तो दंडित किया गया है और न ही किसी भी नियुक्ति हेतु आवेदन करने से प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मामला न तो दर्ज है और न ही प्रचलित है।
4. विज्ञापन संख्या के चयन से सम्बन्धित योजित वादों में मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्णतया पालन करूँगा/करूँगी। चयन के उपरान्त अन्यथा की स्थिति उत्पन्न होने पर आयोग से किसी प्रकार के वित्तीय अनुतोष की माँग नहीं करूँगा/करूँगी
5. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सभी प्रविष्टियाँ एवं उपलब्ध कराये गये सभी अभिलेख/प्रमाण-पत्र सही हैं। आनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियाँ अथवा आयोग को उपलब्ध कराये गये अभिलेख/प्रमाण-पत्र फर्जी/असत्य पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन/चयन निरस्त करने अथवा भविष्य में अन्य विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने से प्रतिबन्धित करने का आयोग को पूर्ण अधिकार होगा। आयोग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के लिये मैं किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

प्रार्थी



उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग

23, एलनगंज प्रयागराज।

विज्ञापन संख्या-04/2026 (सहायक आचार्य) के विज्ञापित पदों का आरक्षणवार विवरण

Sr. No.	विषय	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	सह-शिक्षा महाविद्यालयों में लम्बवत आरक्षण के अनुसार श्रेणीवार कुल पदों का समेकित योग						महिला महाविद्यालयों में लम्बवत आरक्षण के अनुसार श्रेणीवार कुल पदों का समेकित योग						क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) शासनादेशों/अधिनियमों यथासंशोधित में विहित व्यवस्थानुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। (आरक्षण की गणना में अंकों के फ्रेक्शनल पार्ट को इग्नोर किया जायेगा।)		
			Gen	SC	ST	OBC	EWS	Total	Gen	SC	ST	OBC	EWS	Total	महिला	दिव्यांग (O.A./O.L./B.B.A./L.V/D/H.H./L.C./D. W/A.A.V)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
1	हिन्दी	197	59	29	0	40	13	141	25	10	1	15	5	56	0	7	3
2	अंग्रेजी	111	39	13	0	24	5	81	18	4	0	7	1	30	0	4	2
3	अर्थशास्त्र	104	30	39	0	10	0	79	10	12	0	3	0	25	0	4	2
4	समाजशास्त्र	82	22	11	2	16	6	57	10	7	0	7	1	25	0	3	1
5	भौतिक विज्ञान	96	43	17	4	23	8	95	0	0	0	1	0	1	18	3	1
6	रसायन विज्ञान	179	62	35	5	47	18	167	5	2	0	3	2	12	23	7	3
7	गणित	49	18	14	0	12	4	48	0	0	0	0	1	1	8	1	0
8	वाणिज्य	102	38	21	0	25	18	102	0	0	0	0	0	0	20	4	2
9	वनस्पति विज्ञान	104	33	21	2	28	9	93	5	3	0	3	0	11	9	4	2
10	इतिहास	60	23	8	0	16	2	49	3	4	0	4	0	11	1	2	1
11	चित्रकला	24	3	2	1	1	0	7	9	4	0	3	1	17	0	0	0
12	दर्शन शास्त्र	16	7	1	0	7	0	15	1	0	0	0	0	1	2	0	0
13	प्राणि विज्ञान	93	36	19	0	19	7	81	3	5	0	2	2	12	6	3	1
14	मनोविज्ञान	72	17	12	2	10	4	45	15	4	0	6	2	27	0	2	1
15	राजनीति शास्त्र	95	30	16	2	18	7	73	12	6	0	4	0	22	0	3	1
16	शिक्षा शास्त्र	34	8	2	0	3	1	14	5	4	0	9	2	20	0	1	0
17	संगीत गायन	12	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	0	12	0	0	0
18	संस्कृत	102	26	18	1	21	2	68	13	9	0	10	2	34	0	4	2
19	गृह विज्ञान	30	2	1	0	1	1	5	11	6	0	5	3	25	0	1	0
20	भूगोल	95	41	19	0	26	6	92	0	1	0	2	0	3	16	3	1
21	शारीरिक शिक्षा	35	9	3	0	10	6	28	5	0	0	2	0	7	0	1	0
22	सैन्य विज्ञान	41	16	11	1	10	3	41	0	0	0	0	0	0	8	1	0
23	कृषि अर्थशास्त्र	9	4	2	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24	मानवशास्त्र	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	संगीत वादन	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
26	शस्य विज्ञान	11	3	4	1	3	0	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0
27	पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान	12	4	3	0	4	1	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0
28	कृषि रसायन	8	5	0	0	2	1	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0
29	कृषि वनस्पति	8	3	1	0	3	1	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30	कृषि अभियन्तण	6	5	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
31	संगीत वादन तबला	9	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	0	9	0	0	0
32	उद्यान विज्ञान	6	3	2	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
33	उर्दू	11	2	0	0	2	0	4	1	4	0	1	1	7	0	0	0
34	एशियन कल्चर	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	प्राचीन इतिहास	25	7	4	0	9	2	22	1	1	0	1	0	3	2	1	0
36	विधि	61	22	15	1	14	9	61	0	0	0	0	0	0	12	2	1
37	सांख्यिकी	13	6	1	0	5	1	13	0	0	0	0	0	0	2	0	0
38	भूगर्भ विज्ञान	6	3	2	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
39	कृषि आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन	5	1	1	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
40	कीट विज्ञान	4	1	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	कृषि प्रसार	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	कृषि सांख्यिकी	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1936	636	347	22	421	138	1564	160	92	2	95	23	372	138	61	24